न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी– रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
01/2021 प्रा.पत्र/2021	11.01.2021	07.07.2025

अजय कुमार त्रिपाठी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर

.....प्रार्थी

बनाम

1–श्री बृजेश सिंह पुत्र राम सहाय सिंह, HeadCoock Pantry Car Train No 18573, BSKP-BGKT Exp. C/O Doon Caterers, C-40, Nehru Colony Dehradun (UK)
घर का पता–परीक्षित का पुरा, अम्बाह, Naikipur, Katahara मुरैना (म.प्र.) 476111
2–Sh. Shushil Tondon, Doon Caterers, C-40, Nehru Colony Dehradun (UK) 248001
3–Doon Caterers, C-40, Nehru Colony Dehradun (UK) 248001 जरिये Sh Shushil Tondon

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii), धारा 51 एफ.एस.एस. एक्ट 2006 नियम 2011

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार।
2–श्री बाल गोविन्द सिंह भादौरिया निर्माता फर्म की ओर से उप.।

:–निर्णय–: दिनांक 07/07/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 22.06.2018 को समय 14.00 बजे Doon Caterers के Pantry Car Train No 18573, BSKP-BGKT Exp. मे Platform No- 1, Railway Station, बनस्थली निवाई पर FBO Sh. Brijesh Singh S/O Ram Sahai Singh, Head Coock यात्रियों की बिक्री करने के लिए खाद्य पदार्थ तैयार कर बिक्री कर रहे थे। प्रार्थी ने Brijesh Singh S/O Ram Sahai Singh, Head Coock को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया और उक्त Pantry Car Train No 18573, BSKP- BGKT Exp. का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने पर Pantry Car, Train No 18573, BSKP-BGKT Exp. में **Butter Milk (Srichakra)** बिक्री के लिए रखा हुआ था जिसे FBO Brijesh Singh द्वारा यात्रियों को विक्रय भी किया जा रहा था।

आवेदक को इस Butter Milk (Srichakra) की गुणवत्ता में संदेह होने पर मौके पर फार्म VA पर नोटिस तैयार किया, Pantry Car Train No 18573, BSKP-BGKT Exp में कोई यात्री मौजूद नहीं होने से आवेदक ने मौके पर मौजूद श्री बृजपाल सिंह, सफाईवाला अधीन सी.एच.आई. जयपुर के हस्ताक्षर करवाये तथा FBO बृजेश सिंह को दिया तथा 12 Packet each Packet 200 ml- Butter Milk (Srichakra) वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी कीमत FBO बृजेश सिंह को रु. 120/– (एक सौ बीस) मात्र नकद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

FBO बृजेश सिंह के तथा उपस्थित गवाह श्री बृजपाल सिंह सफाईवाला अधीन सी.एच.आई., जयपुर के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किए।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **Butter Milk (Srichakra)** को चार बराबर हिस्सों (प्रत्येक में 03 Packet) में बांट कर, बृजेश सिंह Head Coock एवं गवाह श्री बृजपाल सिंह को दिखाकर लेबल तैयार कर प्रत्येक हिस्से पर चिपकाए और लेबलों पर डी. ओ. के कोड एवं सीरियल नं. NWR 497 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर FBO बृजेश सिंह तथा गवाह बृजपाल सिंह के हस्ताक्षर करवाये और आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर किए। चारो नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज के रैपर में लपेट कर चिपकाया और प्रत्येक भाग पर DO/NWR/Jaipur की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नं. NWR–497 नियमानुसार चारो नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोद से चिपका कर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर ऊपर, नीचे, दायें, बायें तथा गांठ पर सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर FBO बृजेश सिंह तथा गवाह बृजपाल सिंह के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लीप एवं रैपर दोनों पर आ जावे, आवेदक ने स्वयं ने भी हस्ताक्षर किए। चारो नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया ।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर ही फार्म VI की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह सील लगाई जिससे नमूना सील किया था। एक नमूना भाग मय फार्म VI की प्रति के आउटर कवर में सीलबंद कर सील मोहर कर खाध विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर के पत्रांक मेड/एच/605/एफ.एस.एस.ए/लैब रिपोर्ट/NWR 497, दिनांक 13.07.2018 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर से प्राप्त विश्लेषण रिपोर्ट सं. L.S./1055/Act/2018/1153 दिनांक 11.07.2018 के अनुसार FBO बृजेश सिंह द्वारा बिक्री के लिए रखा हुआ **Butter Milk (Srichakra)** वास्ते नमूना जांच में **अवमानक खाद्य (Substandard Food)** होना पाया गया।

उक्त खाद्य पदार्थ के सप्लायर, निर्माता के संबंध में जानकारी के लिए Sh. Shushil Tondon को रजिस्टर्ड पत्र भेजे गए लेकिन इनके द्वारा इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं दी गयी। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। निर्माता फर्म की ओर से श्री बाल गोविन्द सिंह भादौरिया उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है तथा यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। मात्र इसके लेबल पर कुछ आवश्यक जानकारी मानक प्रारूप में अंकित नहीं होने से उक्त नमूना **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **Butter Milk (Srichakra)** काविक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने निर्माता फर्म के प्रतिनिधि एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **Butter Milk (Srichakra)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 10,000/– (अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। प्रकरण में लिए गए नमूने को अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात् नियमानुसार नष्ट कर दिया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07/07/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

(रामरतन सोंकरिया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक